FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** उज्जैन **P.S. (थाना):** महांकाल

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0717 **Year (वर्ष):** 2020

   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 14/08/2020 20:14 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	म. प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956	292 (C)
2	म.प्र. नगरपालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन तथा शर्तें	

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/02/2018 **Date To (दिनांक तक):** 06/08/2020

      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 08:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date (दिनांक):** 06/08/2019

   Time (समय): 11:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 069

   Date & Time (दिनांक और समय): 14/08/2020 20:14

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** पश्चिम, 1 किमी

      Beat No. (बीट सं.):

      (b) Address (पता): श्यामादेवी खण्डेलवाल की भूमी ,जयसिहपुरा उज्जैन

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

      Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

Scanned with CamScanner

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

(a) Name (नाम): उपनिरी राजेन्द्र जाधव

(b) Father's Name (पिता का नाम) : स्व मल्हारराव जाधव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1960 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना महाकाल उज्जैन,महांकाल,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना महाकाल उज्जैन,महांकाल,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रीमती श्यामादेबी		पति का नाम : रामस्वरुप खण्डेलवाल	1. जयसिहपुरा उज्जैन,उज्जैन , महांकाल,उज्जैन,मध्य प्रदेश, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

पत्र क्र 590/का.से/20 दिनांक 05.08.2020 की जांच पर से

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Scanned with CamScanner

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मे थाना महाकाल उज्जैन पर उप निरी के पद पर कार्यरत हुँ। दिनांक 06.08.2020 को राजेद्रसिह रावत उप यंत्री नगर निगम उज्जैन के व्दारा पत्र क्र 590/का.से/20 दिनांक 05.08.2020 का पत्र मय सलग्न दस्तावेज के अवैध कालोनी काटने वाले के विरुध्द पुलिस प्रकरण दर्ज करने वावत मय पत्र क्र 154/उज्जैन/ दिनांक 19.02.2020 का लाकर प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्राप्त आवेदन पत्र पर से आरोपीया श्यामादेवी खण्डेसवाल नि जयसिहपुरा उज्जैन के विरुध्द थाना प्रभारी महोदय महाकाल के व्दारा अपराध पंजीवध्द किया जाने का आदेशानुसार कायमी की जाती है। श्रीमान आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन के प्राप्त पत्र अनुसार आरोपीया श्रीमती श्यामादेवी पति श्री रामस्वरुप खण्डेलवाल निवासी जयसिहपुरा उज्जैन के विरुध्द म.प्र नगर पालिक निगम अधनियम 1956 की धारा 292(ग) एव म.प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निवर्धन तथा शर्ते) के तहत अपराध कायमी हेतु प्राप्त हुआ। आयुक्त महोदय नगर निगम उज्जैन के प्राप्त पत्र दस्तावेज से प्रथम दृष्ट्रीया धारा म.प्र नगर पालिक निगम अधनियम 1956 की धारा 292(ग) एव म.प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्ते) का अपराध का होना पाया जाने से लिखीत आवेदन पत्र पर कायमी की जाती है। नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है।कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र.क्रमाक 590/ का.से/ 2020 दिनांक 05.08.2020 प्रति थाना प्रभारी थाना महाकाल उज्जैन विपय अवैध कालोनी काटने वाले लोगो के विरुध्द पुलिस प्रकरण दर्ज कराने वावत।संदर्भ आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन का पत्र क्रमांक 154/ दिनांक1902.2018 तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 554/दिनांक 24.05.2020. पत्र पृष्ठाक क्रमांक 1349/ दिनांक 27.10.2018। विपयांकित क्रम मे संदर्भीत पत्रो से नगर निगम सीमा उज्जैन के जयसिहपुरा कस्वा उज्जैन जिला उज्जैन के पटवारी हल्का नम्वर 38 के सर्वे क्रमांक 2356,2357/1,2357/2,2520,2521 ,2525/1, 2526/2,2522,2523,2524 ,2525/2 , 2526/3,2526/1 कुल रकवा 1.506 हेक्टर भूमि जो सिहस्थ मेला क्षैत्र के लिए आरक्षित है उस पर श्रीमती श्यामादेवी पति रामस्वरुप खण्डेलवाल निवासी जयसिहपुरा उज्जैन के व्दारा अवैध कालोनी काटने के लिए इसके विरुध्द एफ.आई.आर.दर्ज करने हेतु लिखा गया था किन्तु के विरुध्द आज दिनांक तक एफ.आई.आर दर्ज नही की गई है। अतः पुनः लेख है कि श्रीमती श्यामादेवी पति रामस्वरुप खण्डेलवाल निवासी जयसिहपुरा उज्जैन के विरुध्द नगर निगम सीमा उज्जैन के जयसिहपुरा कस्वा उज्जैन जिला उज्जैन के पटवारी हल्का नम्वर 38 के सर्वे क्रमांक 2356,2357/1,2357/2,2520,2521 ,2525/1, 2526/2,2522,2523,2524 , 2525/2, 2526/ 3,2526/1 कुल रकवा 1.506 हेक्टर भूमि जो सिहस्थ मेला क्षैत्र के लिए आरक्षित है उस पर अवैध कालोनी काटने के लिए एफ.आई.आई दर्ज कर अवगत करावें। राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट) की मूल प्रति एंव फार्म उ की मुल प्रति,खसरा पांचसाला,नक्षा अक्ष की मूल प्रति पूर्व कार्यालयीन पत्र क्रमांक 154/ दिनांक 19.02.2018 के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेपित किये गए है। (क्षितिज सिधल)आईएएस आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन प्रतिलिपी क्रमांक उज्जैन दिनांक 1-कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेपित।2-पुलिस अधीक्षक ,जिला उज्जैन की ओर संबधीत थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश प्रसारित करने के अनुरोध केसाथ सादर प्रेपीत।एसडी आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र. क्रमाक 154/ उज्जैन दिनांक 19.02.18 प्रति थाना प्रभारी थाना महाकाल उज्जैन विपय अवैध कालोनी काटने वाले लोगो के विरुध्द पुलिस प्रकरण दर्ज कराने वावत। विपय- अवैध कालोनी काटने वाले लोगो के विरुध्द पुलिस प्रकरण दर्ज कराने वावत। विषयांकित क्रम मे लेख है कि नगर निगम सीमा उज्जैन के जयसिहपुरा कस्वा उज्जैन जिला उज्जैन के पटवारी हल्का नम्बर 38 के सर्वे क्रमांक 2356,2357/1,2357/2,2520, 2521 ,2525/1, 2526/2,2522 ,2523,2524 , 2525/2,2526/3,2526/1 कुल रकवा 1.506 हेक्टर भूमि जो कि सिहस्थ मेला क्षैत्र के लिये आरक्षित है पर

Scanned with CamScanner

श्रीमती श्यामेदेवी पति रामस्वरूप खण्डेलवाल, निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन व्दारा बिना नगर निगम की अनुमति के एवं बिना कालोनाईजर लायसेंस प्राप्त किए अवैध कालोनी निर्माण करने के उद्देश्य से भूमि का उप विभाजन कर भुखण्डो के रूप मे बेचा जाकर भूमि पर भवनो का अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है।इस संबध मे तहसीलदार तहसील उज्जैन के व्दारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक1698/बी-12/14-15 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन की अनुशंसा सहित प्रकरण कालोनाईजर के विरुध्द अग्रिम कार्यवाही करने हेतु नगर निगम उज्जैन को भेजा गया था। जिसके क्रम मे श्रीमती श्यामादेवी पति श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन को सूचना पत्र क्रमांक 403/ दिनांक 27.05.2015 तथा स्मरण पत्र क्रमांक 550/ दिनांक 31.07.2015 भेजा जाकर उत्तर चाहा गया था परन्तु संबधित के व्दारा आज दिनांक तक न तो दोनो सूचना पत्रो का संतोष जनक उत्तर दिया और ना ही अवैध निर्माण कार्य रोका गया है। राजस्व आदेश पत्र (रव्हेन्यू आर्डर शीट) की मूल प्रति एवं ट की मुल प्रति, खसरा पांच साला,नक्शा अक्ष की मूल प्रति पत्र,के संलग्न प्रेषित है। सूचना पत्रो की प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है। श्रीमती श्यामादेवी पतिश्री रामस्वरूप खण्डेलवाल,निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन के व्दारा किया जा रहा कार्य मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियत 1998 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है ।अतः अवैध कालोनी काटने वाले श्रीमती श्यामादेवी पति रामस्वरूप खण्डेलवाल,निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन के विरुध्द मध्यप्रदेश नगर पालिक(कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 तथा म.प्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत प्रथम सूचना रिपोट (रिपोर्ट) दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे . संलग्न उपरोक्त अनुसार डाक्टर विजय कुमार जे) आईएएस आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन निरन्तर 2-प्रतिलिपी क्रमांक 155-157 उज्जैन दिनांक 19.02.18 प्रतिलिपी क्रमांक उज्जैन दिनांक 1-कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित 2-पुलिस अधीक्षक ,जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ 3- श्री नरेश जैन उपयंत्री कालोनी सेल नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर थाना महाकाल से सम्पर्क कर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चीत करने हेतु पालनार्थ। आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैननोट प्राप्त आवेदन पत्र दस्तावेज पर से अपराध धारा मध्यप्रदेश नगर पालिक(कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 तथा म.प्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग)का पाया जाने से अपराध कायम कर अनुसंधान मे लिया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): RAJENDRA JADHAV(SI (Sub-Inspector)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

No.(सं.):

Rank (पद):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned with CamScanner

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14.Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

14-08-2020

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):RAJENDRA JADHAV

Rank(पद): SI (Sub-Inspector)

No.(सं.):

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with CamScanner

Recd
10-12-2020

<u>कार्यालय पुलिस थाना महाकाल जिला उज्जैन म.प्र</u>

क्रमांक ९५५८/२०

दिनांक 05.12.2020

8.12.20 SE (Col. Cell)
4

नि.जि स.आयुक्त
आयुक्त

कालोनी सेल
क्रमांक 176
दिनांक 11-12-20

प्रति,

श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर पालिक निगम उज्जैन

विषय - थाना महाकाल के अप क्र 717/2020 धारा म.प्र नगर पालिक निगम अध 1956 की धारा 292(ग) एव म.प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्ते) की आरोपीया की मृत्यु के सम्बध मे ।

नगर पालिक निगम
6743
10-12-20

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 14.08.2020 को थाना महाकाल पर अपराध क्रमाक 717/2020 धारा म.प्र नगर पालिक निगम अध 1956 की धारा 292(ग) एव म.प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्ते) का आरोपीया श्यामादेवी पति स्व रामस्वरुप खण्डेलवाल निवासी 157 जयसिहपुरा उज्जैन के विरुध्द कायम होकर अनुसंधान मे लिया गया था ।

प्रकरण की आरोपीया श्यामादेवी खण्डेलवाल की दिनांक 18.11.2020 को बिमारी के कारण मृत्यु होने पर मृतिका के परिजन के व्दारा चक्रतिर्थ की दांह संस्कार सम्बधी रसीद की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी है । मृतिका की मृत्यु के सम्बध मे जन्म मृत्यु कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गयी जिसके अनुसार आरोपीया श्यामादेवी का मृत्यु पंजीयन क्र 4147/ दिनांक 23.11.2020 मृत्यु दिनांक 18.11.2020 होना पाया गया पत्र की छायाप्रति सलग्न है ।

प्रकरण की आरोपीया श्यामादेवी खण्डेलवाल की मृत्यु होने से प्रकरण मे खात्मा क्रमांक 78/05.12.2020 का कता किया गया है । प्रकरण की खात्मा प्रतिवेदन सादर प्रेषीत है ।

सलग्न मृत्यु सम्बधी पत्र की छायाप्रति-2

5/12/2020
थाना प्रभारी
थाना महाकाल
थाना महाकाल उज्जैन

प्रतिलिपी -प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

थाना प्रभारी
थाना महाकाल उज्जैन

O.I.C.
कालोनी सेल
[illegible]

16.12

Scanned with CamScanner